

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से	प्रस्तुतिकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6
	382/2024	राजेंद्र कुमार वर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान झालावाड़। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, झालावाड़।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	17.12.2024
	383/2024	बाबूलाल वर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान झालावाड़। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, झालावाड़।	श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	17.12.2024

आदेश की दिनांक : 10.02.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
- इस आदेश की उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों की ग्राह्यता का बिन्दु इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना इस अधिकरण ने न्यायहित में उचित समझा है। अपील संख्या 382/2024 (राजेंद्र कुमार वर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य) को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।
- प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेश दिनांक 13.04.1990 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत हुई थी (अनुलग्नक-1) और उसे अध्यापक ग्रेड-III के पद

पर आदेश दिनांक 10.10.1997 को समायोजित किया गया (अनुलग्नक-2)। अपीलार्थी ने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा से बी.एड. की डिग्री वर्ष 2002 में अर्जित की (अनुलग्नक-3)। उनका कथन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 4500-7000 (9ए) का लाभ नहीं दिया गया जबकि वह अध्यापक ग्रेड-III के पद पर कार्य कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक-4) द्वारा अपीलार्थी के समान अन्य अध्यापक ग्रेड-III को वेतनमान 4500-7000 (9ए) प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने छव अपील का निर्णय लिया है (अनुलग्नक-5)। इस प्रकार अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड-III के वेतनमान पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के कई प्रकरणों में आदेश पारित कर 4500-7000 (9ए) वेतनमान का लाभ देने हेतु आदेशित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-III का वेतनमान 4500-7000 (9ए) मय समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे और सभी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि के लाभ तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उन्हें अध्यापक-ग्रेड-III के पद पर समायोजित किया जा चुका है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा उनकी शुरुआती बेसिक पे 2800 रुपए नियत की गई एवं उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावें।
5. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।
6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजन आदेश दिनांक 10.10.1997 (अनुलग्नक-2) के द्वारा किया गया। अपील में अध्यापक

ग्रेड-III को स्वीकृत वेतनमान 4500-7000 (9ए) स्वीकृत कराने, पारिणामिक परिलाभ एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का अनुतोष चाहा गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003) में आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि :-

“considered the submissions of learned counsel for the parties and perused the notification dated 7.8.1998 by which a new pay scale no.9A has been inserted and it has been clearly mentioned that this new pay scale 9A is to be inserted below pay scale 9. Therefore, the contention of the petitioners that there exist no pay scale 9 is not sustainable. However, the petitioners are admittedly appointed on the post of teacher grade-III and there is only one pay scale for teacher grade-III and that pay scale is 9A as is clear from notification dated 7.8.1998 whereby for teacher grade-III, the pay scale has been increased from 4000-600(9) to Rs.4500-7000(9A) and respondents failed to show that there can be two pay scales for teacher grade- III and that is on the basis of the source of appointment.

In view of the above reasons, the writ petition of the petitioners is allowed and it is held that petitioners are entitled to the pay scale of Rs.4500-7000 (9A) in view of notification dated 7.8.1998 irrespective of the fact that there exist pay scale no.9. The petitioner be granted all the consequential benefits in the light of this decision within a period of three months from today.”

- उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि एक ही पद पर दो वेतनमान प्रभावी नहीं हो सकते जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्णय में निर्णित किया है, आलोच्य प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी को अध्यापक के पद पर अधिशेष किए जाने पर अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित किए जाने के उपरांत उसे 9, 8, 27 के परिलाभ प्रदत्त किए जा चुके हैं। जबकि प्रार्थी का कथन है कि उसे 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदत्त नहीं किया गया है और दिलवाया जाए। विभाग ने अपने कथन की ताईद में स्पष्ट किया है कि 27 वर्ष की चयनित वेतनमान प्रार्थी को दे दिये गये हैं एवं जो अपीलार्थी प्राप्त कर रहा है जो विधि अनुकूल है। इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी 27 वर्षीय सेवा उपरांत चयनित वेतनमान का लाभ दोबारा प्राप्त करने का अधिकारी बताते हुए कि 27 वर्षीय सेवा उपरोक्त लाभ की मांग कर रहा है, उचित नहीं है। वेतनमान 9 के सापेक्ष परिलाभ यदि प्रार्थी वांछनीयता रखता है, उसे 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने पर उसकी पुनरावृत्ति होगी जो नियमानुकूल नहीं रहती।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी दो सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा विभाग 3 माह में अपीलार्थी के आवेदन पर आख्यात्मक एवं नियमानुसार आदेश पारित करे। इस आशय के साथ अपील निस्तारित की जाती है।
9. मूल आदेश अपील संख्या 382/2024 (राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य) में रखा जावे एवं इस आदेश की तालिका के क्रम संख्या 2 की अपील की पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य